इन्दिरा गॉधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना– 2021

वैश्विक महामारी कोविड–19 की परिस्थितियों में शहरी क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 02 के क्रियान्वयन हेतु इन्दिरा गॉधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना–2021 लागू की गई है :–

उद्देश्य :– अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढावा देने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड–19 के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से 50000/–रू. तक का ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।

कार्यक्षेत्र :– यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर परिषद/नगर पालिका/नगर निगम की सीमा में) रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के लिए होगी।

योजना की समय सीमा :– योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी लाभार्थी एक वर्ष के लिए अधिकतम 50000/–रू. का ऋण ले सकता है जिसके लिए किसी भी तरह की गारन्टी की आवश्यकता नही होगी। ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा।

लाभार्थी क्रेडिट कार्ड/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड से 50000/–रूपये तक की राशि आवश्यकतानुसार दिनांक 31.03.2022 तक एक से अधिक किश्तों में आहरित कर सकेगा।

लाभार्थियों के चयन सम्बन्धित मापदण्ड :–

1. गलियों में काम कर रहे व्यापारी जिन्हे स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण–पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
2. ऐसे विक्रेता जिन्हे सर्वे के दौरान चयन किया गया था परन्तु किसी कारण से प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नही किया जा सका।
3. ऐसे व्यापारी जो स्थानीय शहरी संकाय द्वारा किए गए सर्वे में छूट गए थे अथवा जिन्होने सर्वे के बाद व्यापार प्रारम्भ किया है लेकिन उन्हें स्थानिय शहरी निकाय द्वारा सिफारिश पत्र दिया गया है।
4. 18 से 40 वर्ष के युवा जो कि निम्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत है :–
   जैसे हैयर ड्रेसर, रिक्शावाला, साईकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग–पेंट करने वाले, नल–बिजली मिस्त्री, बुनाई वाले, साईकिल एवं मोटर साइकिल के मिस्त्री व अन्य सेवाओं में कार्यरत लोग जिन्हे स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा चिन्हित एंव सम्मिलित किया गया है।
5. ऐसे बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केन्द्रों में पंजिकृत है तथा राजस्थान के निवासी है व जिन्हे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है।
6. आवेदक जिसकी मासिक आय 15000/–रू. से कम है तथा कुल पारिवारिक मासिक आय 50000/–रू. से कम है पात्र होगें।

प्रक्रिया :– केवल वेब पोर्टल अथवा एण्ड्रायड ऐप के माध्यम से किए गए ऋण संबंधित आवेदन ही स्वीकार किए जाएगें। इस संबंध में लाभार्थी ई–मित्र कियोस्क से भी सहायता ले सकेगें।

आवश्यक दस्तावेज :– पासपोर्ट साइज फोटो, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राजस्थान में वर्तमान निवास व स्थाई निवास सम्बन्धित पृथक–पृथक दस्तावेज, बैंक खाता पासबुक, विक्रेता हेतु प्रमाण पत्र, वेडिंग आईडी, सिफारिश पत्र, जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गई पंजिकृत संख्या, आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित शपथ पत्र जिसमें वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण सम्बन्धि सूचना (यदि कोई हो तो) व्यापार/व्यवसाय का प्रमाण आदि।

योजना की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अनुजा निगम, नगर परिषद्/नगर पालिका, रोजगार कार्यालय से सम्पर्क करें।